

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।  
वनादेश 36 / 1-12(5)(HRD) देहरादून दिनांक 16 मार्च, 2023

पदोन्नति आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-1 के पत्र संख्या 296/GEN/X-1-2023-04(02)/2021, दिनांक 16.03.2023 एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 620/16/ई-4/डी0पी0सी0/2022-23, दिनांक 23.02.2023 द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में चयन वर्ष 2021-22 की रिक्ति के सापेक्ष सारणी में अंकित उप वन क्षेत्राधिकारी को वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 रू0 35,400-1,12,400/- से वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रू0 47,600-1,51,100/- में स्तम्भ-5 के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है-

चयन वर्ष 2021-22

क्र. सं.	उप वन क्षेत्राधिकारी का नाम	वर्तमान में तैनात कार्यालय का नाम	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	2	3	4	5
1	राकेश चन्द्र	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर।	लैन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वार।	तत्काल प्रभाव से
2	श्यामसिंह करायत	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।	तत्काल प्रभाव से

1. संबंधित कर्मचारी स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा यह मान लिया जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग कर दिया गया है। परित्याग की स्थिति में कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. नियन्त्रक अधिकारी संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें यदि कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो, तो कार्मिक से लिखित रूप में आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करें।

3. कर्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को कर्मचारी के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

4. शासन की पत्र संख्या 2177/X-1-2013-04(13)/2006, दिनांक 05.09.2013 एवं इस क्रम में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटिशन संख्या 145/2016 वन क्षेत्राधिकारी संघ बनाम राज्यादि में पारित निर्णय

D.Ranger to Ranger Promotion 2022-23

This document is digitally signed and does not require a physical signature.

दिनांक 10.03.2017 के अनुसार उक्त वनक्षेत्राधिकारियों की तैनाती क्षेत्रीय रेंजों में ही करना सुनिश्चित करें तथा किसी भी परिस्थिति में क्षेत्रीय रेंजों में उप वनक्षेत्राधिकारियों को रेंज चार्ज में न रखा जाय। क्षेत्रीय रेंजों में वन क्षेत्राधिकारियों की कमी की स्थिति में वन क्षेत्राधिकारियों को एक से अधिक रेंजों का कार्यभार दिया जा सकता है।

Signed by Vinod Kumar

Date: 16-03-2023 18:40:51

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

संख्या I/17962/2023/11-12(5) तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड में अपलोड करने हेतु।
3. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस आदेश की प्रति सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारियों का शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

संख्या I/17962/2023/11-12(5) तददिनांकित।

प्रतिलिपि-1. उप सचिव, वन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, को शासकीय संख्या 296/GEN/X-1-2023-04(02)/2021, दिनांक 16.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या 620/16/ई-4/डी0पी0सी0/2022-23, दिनांक 23.02.2023 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)